

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ - 160030
Punjab, Haryana & Chandigarh. GDC,
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector - 32 A,
Chandigarh - 160030

सं No. प्रशा. Adm.- 2637/37-जी-9

दिनांक- 19 जून, 2020

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र नेमी आदेश संख्या 09 दिनांक 19 -06-2020

1. स्थानान्तरण/तैनाती:-

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार तदर्थ आधार पर पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर आए/गए :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	कार्यभार छोड़ने की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	प्राधिकार
1.	श्री राजीव कपूर, कार्यालय अधीक्षक	पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़. जी.डी.सी.	मानचित्र एवं प्रसार केन्द्र, देहरादून	09-06-2020 (अपराहन)	-----	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 18-03-2020 का पत्र सं. सी-1300/718-ए
2.	श्री अमित कुमार, एम.टी.एस.	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी, चण्डीगढ़	14-05-2020 (पूर्वाहन)	-----	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 11-05-2020 का पत्र सं. सी-1540/1979-एल.डी.सी. (1) (5% कोटा)
3.	श्री देवेन्द्र कुमार, एम.टी.एस.	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी, चण्डीगढ़	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़	-----	28-05-2020 (पूर्वाहन)	

2. एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन :-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या 1-3/97-सी.डी.एन, दिनांक 17-08-1999 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या 35034/1/97-स्था (डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या एस.एम./02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं. एस.एम./02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं. एस.एम./02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-1। एवं डिविजन-1 (डिविजन-1। से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	वित्तीय उन्नयन	वेतनमान (पूर्व संशोधित)	वित्तीय उन्नयन (MACP) की तिथि	प्राधिकार
1.	श्री सुरिन्द्र सिंह, भण्डारपाल ग्रेड-II	द्वितीय	5500-175-9000	14-02-2008	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 12/13-05-2020 का पत्र सं. सी-1560/1902-ए.सी.पी. (पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.)


- (i) उरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।
- (ii) उपरोक्त कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22 (1) क (1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।
- (iii) अतिरिक्त संनिहित व्यय इस केन्द्र के लिए वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

3. नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता:-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. 14/03/78 एसएमपी-1 दिनांक 28-03-1978 और भारत सरकार लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-27012/1/2014-स्था (अलाउन्स) दिनांक 28-04-2014 के अंतर्गत इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार खजांची का कार्य करने के लिए नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	अवधि	वर्ष 2019-20 के लिए नकदी भुगतान	नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता
1.	श्री सिकन्दर सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक	01-03-2020 से 28-02-2021 तक	₹ 62,28,004/-	₹1000/- प्रति माह

अतिरिक्त संनिहित व्यय इस केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।


(प्रशांत कुमार)

निदेशक

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून। (केवल E-mail द्वारा)
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ । (केवल E-mail द्वारा)
3. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर को सूचनार्थ । (केवल E-mail द्वारा)
4. प्रभारी विभागीय वेबसाइट को - कृपया यह आदेश "Routine Orders & Circular" tab में प्रकाशित करें ।
5. प्रभारी आदान अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



ENGLISH VERSION

फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
सर्वे कॉम्प्लेक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ - 160030

Punjab, Haryana & Chandigarh. GDC,
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector - 32 A,
Chandigarh - 160030

सं० No. प्रशा० Adm.- 2637 /37-G-9

Dated, दिनांक- 19 June, 2020

Punjab, Haryana & Chandigarh GDC Routine Order No. 09 Dated 19 -06-2020

1. Transfer/Posting :-

Following personnel has been transferred in on adhoc promotion as per detail shown against his name:-

Sl. No.	Name & Designation	Present Posting	New Posting	Date of releaving	Date of joining	Authority
1.	Sh. Rajeev Kapoor, Office Suprintendent	PHC GDC, Chandigarh	MA & DC, Dehradun	09-06-2020(A/N)	-----	SG's Letter No.- C- 1300/718-A, dated 18-03-2020
2.	Sh. Amit Kumar, MTS	Northern Zone, Chandigarh	HP GDC, Chandigarh	14-05-2020(F/N)	-----	SG's Letter No.- C- 1540/1979-LDC (1) (5% quota), dated 11-05-2020
3.	Sh. Devendra Kumar, MTS	HP GDC , Chandigarh	Northern Zone, Chandigarh	-----	28-05-2020(F/N)	

2. Financial upgradation under MACP scheme :-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/97-Estt. (D) dated 09-08-1999 received under Department of Science & Technology's letter No. 1-3/97-CDN, dated 17-08-1999 and in pursuance of Department of Science & Technology's letter No. SM/02/031/2000, dated 21-10-2003, letter No. SM/02/038/2003, dated 28-02-2005 and letter No. SM/02/031/2000, dated 16-11-2007 the following personnel are hereby granted **Second Financial Upgradation** under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civil Employees in the Scale of Pay and effective date shown against their names:-

Sl. No.	Name & Designation	MACP	Pay Scale (Pre revised)	Date of MACP	Authority
1.	Sh. Surinder Singh, SK Gde-II	Second	5500-175-9000	14-02-2008	SG's Letter No. C-1560/1902-ACP(Pb, Hr & Chd GDC), dt.12/13-05-2020


- 1.The pay of the above personnel will be fixed by the Head of Office.
- 2.The personnel concerned are required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) within one month.
- 3.The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the year 2020-2021 and debited to the appropriate Head of Account.

3. Cash Handling Allowance:-

In terms of Govt. of India, Ministry of Science & Technology, New Delhi's letter No. 14/3/78-SMP-1 Dated 28-03-1978 and Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Deptt of Personnel & Training) O.M. No. A-27012/1/2014-Estt (Allowances) Dated 28 April, 2014, Sanction is hereby granted to draw Cash Handling Allowances to the under mentioned employee as per details shown against his name:-

Sl. No.	Name & Designation	Period	Cash disbursement for the year 2018-19	Rate of Cash handling allowances
1	Sh. Sikander Singh, UDC	01-03-2020 to 28-02-2021	62,28,004	₹1000/-P.M

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the financial year 2020-21 and debited to the appropriate Head of Account.


(Prashant Kumar)
Director,

Punjab, Haryana & Chandigarh, G.D.C

Distribution : As per Hindi Version